2022/218
2022/220

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 84/2022 (उदयपुर डिक्री)

1. वेणीराम पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरड़ा, हाल भील बस्ती, मदार, जिला उदयपुर (राज.)
2. ऊंकारनाथ पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. जगन्नाथ पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भैरूदास पिता स्वर्गीय मोहनदास जी वैरागी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. माणकलाल पिता भैरूलाल जी लौहार, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 86/2022 (उदयपुर डिक्री)

1. वेणीराम पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरड़ा, हाल भील बस्ती, मदार, जिला उदयपुर (राज.)
2. ऊंकारनाथ पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. जगन्नाथ पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भैरूदास पिता स्वर्गीय मोहनदास जी वैरागी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. माणकलाल पिता भैरूलाल जी लौहार, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा॰का॰अ॰ 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड गोगुन्दा प्रारम्भिक
डिक्री दिनांक 15.12.2021 व अंतिम डिक्री
दिनांक 12.03.2022 प्रकरण सं. 53/2020

———::———

उपस्थित :— 1— श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक रे. सं. 1, 2
3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 08—08—2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मजावद में आराजी नंबर 2009, 2010 किता 2 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की ओर वादी का 3/8 वां हिस्सा है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से पक्षकारों में विवाद होता रहता है, जिससे मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 15—12—2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 12—03—2022 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15—12—2021 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा अपील संख्या 84/2022 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 12—03—2022 के विरूद्ध अपील संख्या 86/2022 इस न्यायालय में दिनांक 22—11—2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 53/2020 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 09–11–2022 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली प्रशासन गांव के संग में रखने की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी, न ही उक्त प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 की तामील करवायी गयी है, जिससे अपीलान्टगण प्रशासन गांव के संग में उपस्थित नहीं हो सके। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का जवाबदावा बन्द कर मनमकसूद तरीके से कैम्प में अपीलान्टगण को सुने बिना निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मौके पर नहीं गये, बल्कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में विवादित आराजी नंबर 2009, 2010 किता 2 रकबा 0.4000 हैक्टर पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज होकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 3/8 हिस्सा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी की भूमि का विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या द्वारा अपने इन्हीं अधिकारों के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टगण को सूचित कर अपीलान्ट संख्या 2 व 3 उपस्थिति में तैयार किया गया है तथा अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किये जाने का नोट विभाजन प्रस्ताव पर अंकित है। ऐसी स्थिति में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15–12–2021 एवं अंतिम डिक्री 12–03–2022 यथावत रखी जाती हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

वेणीनाथ पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरडा, हाल भील बस्ती, मदार, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

भैरूदास पिता स्व. मोहनदास जी, वैरागी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....84/2024..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी... ....गोगुन्दा.......... मुकाम................मुवर्खे.............15.............माह.............12............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........08....माह........08....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.......श्री नरेन्द्र चौघरी ....मनजानिब अपीलान्ट व......श्री रोशनलाल जैन

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री 15–12–2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......08.......माह.......08..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

वेणीनाथ पिता जीवननाथ जी, जाति नाथ, निवासी आवरडा, हाल भील बस्ती, मदार, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	भैरूदास पिता स्व. मोहनदास जी, वैरागी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......86 / 2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी... ....गोगुन्दा.......... मुकाम................मुवर्खे.............12..............माह..............03............2022

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........08....माह........08....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.......श्री नरेन्द्र चौघरी ......मनजानिब अपीलान्ट व......श्री रोशनलाल जैन

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री 12—03—2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......08.......माह.......08..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested